पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन
ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड
दूरभाष सं0 0135–2643459, फैक्स नं0 2645249

PTCUL

Power Transmission Corporation
of Uttarakhand Ltd.
(A Government of Uttarakhand Enterprise)
HR & Admn. Department
Vidyut Bhawan, Majra, Dehradun, Uttarakhand
Telephone No. 0135-2643459, Fax No. 2645249

पत्रांक: 138 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक:27.01.2014

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.11.2013 को हुई 43वीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में पिटकुल के त्रुटिपूर्ण विद्युत पारेषण तंत्र के सम्पर्क में आने से बाह्य व्यक्ति(यों)/पशुओं की घातक एवं साधारण दुर्घटना एवं विद्युतीय अग्निकाण्ड से हुई क्षति पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्यता विषयक पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 के आदेश सं0 1890–ईए/ राविप/ औस–18/ 92–8विविध/92 दिनांक 26.09.1992, आदेश सं0 2060–रा0वि0प0/औस–17/96–9एम/92 दिनांक 20.07.1996 एवं आदेश सं0 4510–औस–17/ राविप/98–21(23)एएस/98 दिनांक 25.06.1998 तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 294–मा0सं0/09काअनु0ए/बी–1 दिनांक 02.02.2005, आदेश सं0 1507–निदे0(मा0सं0)/उपकालि/का0जी0 दिनांक 09.11.2011, आदेश सं0 912–निदे0(मा0सं0)/उपकालि/का0जी0 दिनांक 29.01.2013 एवं पत्रांक 11899 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0का0जी0 दिनांक 30.12.2013 के अनुक्रम में पिटकुल के त्रुटिपूर्ण विद्युत पारेषण तंत्र के कारण घटित घातक एवं साधारण दुर्घटना/सम्पत्ति को हुई क्षति सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्ताराणार्थ एतदद्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. **बाह्य व्यक्तियों की घातक दुर्घटना**:– घातक मानव दुर्घटना के फलस्वरूप अनुमन्य देय अनुग्रह धनराशि रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) प्रति व्यक्ति होगी। घातक मानव विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) की अन्तरिम सहायता का भुगतान मृत्तक के विधिक उत्तराधिकारी को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता की आख्या एवं एफ0आई0आर0 दर्ज करने के 48 घंटे के अन्दर किया जाएगा। सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता (परी0 एवं परि0) की एक जॉच समिति गठित की जाएगी। जॉच समिति विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच आख्या कर 10 दिनों के अन्दर जॉच रिपोर्ट तैयार कर मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, तदोपरान्त अधिकतम 05 दिन की अवधि में अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर पूर्व में भुगतान की गयी राशि को समायोजित कर शेष धनराशि रू0 1,80,000.00 (रू0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) का भुगतान मृत्तक के उत्तराधिकारी को करेंगे।
2. **बाह्य व्यक्तियों की साधारण दुर्घटना**:– बाह्य व्यक्ति/व्यक्तियों के साधारण विद्युत दुर्घटना में हुई पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) प्रति व्यक्ति तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि को अर्जन क्षमता चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिशत हास् गणना कर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) होगी।
3. **पशुधन की घातक दुर्घटना** :– पशुधन की घातक दुर्घटना के प्रकरणों में राजस्व विभाग के मानक दरों के अनुसार निर्धारित अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति मृत्तक पशु के स्वामी को सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुसंधान आख्या मृत्तक पशु की क्रय रसीद को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। इस अनुग्रह धनराशि का भुगतान भी खण्ड स्तर पर किया जाएगा।

रजिस्टर्ड ऑफिसः– विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून – 248002
Regd. Office:- Vidyut Bhawan Near – ISBT Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun – 248002
Telephone No. 0135-2646000 Website:- www.ptcul.org

4. विद्युत अग्नि काण्ड के कारण फसलों/सम्पत्ति की क्षति :– कारपोरेशन के त्रुटिपूर्ण विद्युत अधिष्ठान के फलस्वरूप घटित विद्युतीय अग्नि काण्ड से हुई क्षति के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिलाधिकारी द्वारा क्षति का आंकलन एवं संस्तुति तथा निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तरांचल शासन की अनुसंधान आख्या प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि में राजस्व विभाग के मानक दरों के अनुसार सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति की जाएगी। स्वीकृत अनुग्रह धनराशि का भुगतान खण्ड स्तर पर ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में राजस्व विभाग के मानक दरों से अधिक अनफग्रह धनराशि स्वीकृत नही की जाएगी। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनुग्रह धनराशि के प्रकरण मुख्यालय को सन्दर्भित किये जाऐंगे। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी नियन्त्रण/उपाय अपनायें जाने तथा विद्युत दुर्घटनाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में वांछित प्रभावी कार्यवाही उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें किसी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता एवं विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे किन्तु इस आदेश के निर्गमन की तिथि से पूर्व घटित दुर्घटनाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण पूर्ववर्ती परिषद के उपर्युल्लिखित आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 138 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त), पिटकुल, कारपोरेट कार्यालय, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–II), पिटकुल ....।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेब साइड पर उपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, पिटकुल..........................।
8. अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, कारपोरेट मुख्यालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित फाईल/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

रजिस्टर्ड ऑफिसः– विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून – 248002
Regd. Office:- Vidyut Bhawan Near – ISBT Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun – 248002
Telephone No. 0135-2646000 Website:- www.ptcul.org